रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072023-247634 CG-DL-E-27072023-247634

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3227] No. 3227] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2023/श्रावण 4, 1945 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2023/SHRAVANA 4, 1945

#### पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

का.आ. 3372(अ).—केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना संख्यांक का.आ.3250(अ), तारीख 20 जुलाई, 2022 द्वारा यह निर्देशित करती है कि सभी स्टैंड अलोन री-रोलिंग इकाईयां या कोल्ड रोलिंग इकाईयां, जो इस अधिसूचना की तारीख को यथास्थिति, संबद्ध राज्य प्रदूषण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण सिमिति से स्थापन की विधिमान्य सहमति और प्रचालन की सहमति के साथ इस अधिसूचना की तारीख को विद्यमान हैं और प्रचालन में हैं, पर्यावरण अनापत्ति के अनुसरण में निर्देश निबंधन (टीओआर) अनुदत्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगी और उक्त इकाईयों को भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1533(अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 की मद 3 (क) के अनुसार मानक निदेश निबंधन अनुदत्त किए जाएंगे और उन्हें लोक परामर्श की अपेक्षा से छूट प्राप्त होगी, परंतु टीओआर अनुदत्त करने के लिए आवेदन, इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अविध के भीतर किया जाएगा।

और, केन्द्रीय सरकार जो आवश्यक समझे उक्त अवधि के छह मास की और अवधि बढा सकती है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3250 (अ), तारीख 20 जुलाई, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में, परंतुक में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष और छह मास" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. आईए-जे-11013/8/2019-आईए.II(I)]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

4852 GI/2023 (1)

टिप्पणः- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), अधिसूचना का.आ. 3250 (अ), तारीख 20 जुलाई, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2023

**S.O.** 3372(E).—WHEREAS, the Central Government, vide notification number S.O. 3250(E), dated the 20<sup>th</sup> July, 2022, directed that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish and Consent to Operate from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the notification of the Government of India in the, erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and shall be exempted from the requirement of public consultation, provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of the said notification.

AND WHEREAS, the Central Government deems it necessary to extend the said period by a further period of six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3250(E), dated the 20<sup>th</sup> July, 2022, namely:-

In the said notification, in paragraph 1, in the proviso, for the words, "one year" the words "one year and six months" shall be substituted.

[F. No. IA-J-11013/8/2019-IA.II (I)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

**Note**.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub –section (ii) vide notification S.O.3250 (E), dated the 20<sup>th</sup> July, 2022.